



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 135-2017/Ext.]CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017 (SRAVANA 10, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 2 अगस्त, 2017

संख्या:62 / एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(क) अनुसूची I—2.5% में,—

- (i) क्रम संख्या 59 के सामने, खाना (3) में, "1106 10 90" अंकों के स्थान पर, "0713" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 61 के सामने, खाना (2) में, "1106 10 90" अंकों के स्थान पर, "0713" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 92 के सामने,
  - (क) खाना (2) में, "1702" अंकों के स्थान पर, "1702 या 1704" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (ख) खाना (3) में, "पामीरा चीनी" शब्दों के स्थान पर, "पामीरा चीनी, मिश्री, बताशा, बुरा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 185 के सामने, खाना (3) में, "अगरबत्ती" शब्द के स्थान पर, "अगरबत्ती, लोभान" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 220 के सामने, खाना (3) में,—
  - (क) "सैमा" शब्द के स्थान पर, "सलमा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ख) "गोटासितारा" शब्द के स्थान पर, "गोटा, सितारा" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ग) "गलजल" शब्द के स्थान पर, "गजाई" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 234 के सामने, खाना (3) में, मद (छ) के पश्चात, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—  
"(ज) फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं या पैनल में बने हों अथवा नहीं";
- (ख) अनुसूची II-6% में,—**
- (i) क्रम संख्या 14 के सामने, खाना (3) में, अन्त में, "और शुष्क नारियल" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) में, "छुआरा" शब्द के स्थान पर, "छुआरा (मुलायम या हार्ड)" शब्द, कोष्ठक तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (iii) क्रम संख्या 56 के सामने, खाना (3) में, "क्रम संख्यांक 1(च)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक के स्थान पर, "क्रम संख्या 1(छ)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (iv) क्रम संख्या 74 के सामने, खाना (3) में, "3302" अंकों के स्थान पर, "3301" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (v) क्रम संख्या 231 के सामने, खाना (3) में, "शीर्ष सं० 9208" शब्द तथा अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 9208 या 9705" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ग) अनुसूची III-9% में,—**
- (i) क्रम संख्या 55 के सामने, खाना (3) में, "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही" शब्दों के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (ii) क्रम संख्या 133 के सामने, खाना (3) में, "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर "कृत्रिम फर, उसकी वस्तुओं के अलावा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (iii) क्रम संख्या 233 के सामने, खाना (3) में, "सिलाई की सुइयाँ" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
  - (iv) क्रम संख्या 247 के सामने, खाना (3) में, "0.12.5 मिलीमीटर" अंको, चिहनों तथा शब्द के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर" अंक, चिहन तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (v) क्रम संख्या 323 के सामने, खाना (2) में, "8522 90" अंकों के स्थान पर, "8422 90" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (vi) क्रम संख्या 395 के सामने, खाना (3) में, "प्रकाशीय फाइबर" शब्दों के स्थान पर "प्रकाशीय फाइबर केबल" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (vii) क्रम संख्या 447 के सामने, खाना (3) में, "और अन्य लेखनी" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (घ) अनुसूची IV-14% में,—**
- (i) क्रम संख्या 158 के सामने, खाना (3) में, "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन" शब्दों तथा चिहनों के स्थान पर, "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स के लिए कनैक्टरज" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (ii) क्रम संख्या 161 के सामने, खाना (3) में, "प्रकाशिक फाइबर" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशिक फाइबर केबल्स" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
  - (iii) क्रम संख्या 215 के सामने, खाना (3) में, "विडियो गेम कनसोल और मशीनें" शब्दों के स्थान पर, "विडियो गेम्स कंसोल्स और मशीन, बिलियार्ड के लिए आर्टिकल और उपसाधन (ऐसेसरिज) (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के, बैंक नोट्स के द्वारा खेले जाते हैं, अर्थात् कैसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**  
**Notification**

The 2nd August, 2017

**No.62/ST-2.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ ST-2, dated the 30th June, 2017,-

**(A) In Schedule I-2.5%,-**

- (i) against S. No.59, under column (3), for the figures “1106 10 90”, the figures “0713” shall be substituted;
- (ii) against S. No.61, under column (2), for the figures“1106 10 90”, the figures “0713” shall be substituted;
- (iii) against S.No.92,-
  - (a) under column (2), for the figure “1702”, the figures “1702 or 1704” shall be substituted;
  - (b) under column (3), for the words “Palmyra sugar”, the words “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura” shall be substituted;
- (iv) against S.No.185, under column (3), for the words “Agarbatti”, the words “Agarbatti, lobhan” shall be substituted;
- (v) against S. No.220, under column (3),-
  - (i) for the word “saima”, the word “salma” shall be substituted;
  - (ii) for the word “gotasitara”, the word “gota, sitara” shall be substituted;
  - (iii) for “glzal”, the word “gizai” shall be substituted;
- (vi) against S.No.234, under column (3), after entry (g), the following entry shall be inserted, namely:-
  - “(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels”;

**(B) In Schedule II-6%,-**

- (i) against S.No.14, under column (3), after the words “shelled or peeled”, the words “and desiccated coconuts” shall be inserted;
- (ii) against S.No.16, under column (3), for the word “Dates”, the words and brackets “Dates (soft or hard)” shall be substituted;
- (iii) against S.No.56, under column (3), for the words, figures and sign “serial number 1(f)”, the words, figures and sign “serial number 1(g)” shall be substituted;
- (iv) against S.No.74, under column (2), for the figure “3302”, the figure “3301” shall be substituted;
- (v) against serial number 222, under column (3), for the words “the light”, the words “the like” shall be substituted;
- (vi) against S.No.231, under column (3), for the word and figure “heading 9208”, the word and figures “heading 9208 or 9705” shall be substituted;

**(C) In Schedule III-9%-**

- (i) against S. No. 55, under column (3), for the words “(Fountain pen ink and Ball pen ink)”, the words “(other than Fountain pen ink and Ball pen ink)” shall be substituted;
- (ii) against S. No.133, under column (3), for the words “Artificial fur and articles thereof”, the words “Artificial fur other than articles thereof” shall be substituted;
- (iii) against S. No.233, under column (3), the words and sign “Sewing needles,” shall be omitted;
- (iv) against serial number 238, under column (3), for the words “ Brain Covers”, the words “ Drain Covers” shall be substituted;
- (v) against S. No. 247, under column (3), for the figures and words “0.12.5 mm” , the figures and words “0.15 mm” shall be substituted;

- (vi) against S.No.323, under column (2), for the figures “8522 90”, the figures “8422 90” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 395, under column (3), for the words “Optical Fiber”, the words “Optical Fibre Cable” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 447, under column (3), the words “and other pens” shall be omitted;

**(D) In Schedule-IV-14%-**

- (i) against S.No.158, under column (3), for the words “optical fibres, optical fibres, bundles or cables”, the words “optical fibres, optical fibre bundles or cables” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 161, under column (3), for the words “Optical Fiber”, the words “Optical Fibre Cables” shall be substituted;
- (iii) against S.No.215, under column (3), for the words “Video games consoles and Machines”, the words “Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, *i.e.*, casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]” shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.